फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

गोरधन बनाम शिशपाल वगै0

मुकदमा संख्या :– 10/2022

दिनांक 25.04.2022

आज्ञा – पत्र

प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी बाबत विरासत के आधार पर फौती नामान्तकरण खोले जाने, हकत्याग करने व कृषि ऋण लिए जाने की अनुमति दिये जाने हेतु आदेश

दिनांकः– 25.04.2022

प्रार्थी गोरधन पुत्र श्री प्रभात, जाति जाट की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उनवानी प्रकरण शिशपाल बनाम नाथू वगै0 प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 150/2009 न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक 10.11.2009 को वाके ग्राम चेता का बास, भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 1839, 1841 ता 1849, 1854, 1856 ता 1867 कुल किता 24 का कुल रकबा 11.21 हैक्टेयर भूमि में दिनांक 08.12.2009 तक जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया गया था तथा दिनांक 11.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में पुनः विवादित भूमि वाके ग्राम चेता का बास, भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 1839, 1841 ता 1849, 1854, 1856 ता 1867 कुल किता 24 का कुल रकबा 11.21 हैक्टेयर भूमि की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति ता वाद फैसला तक बनाये रखने बाबत उभयपक्षकारान को पाबन्द किया गया था। उक्त स्थगन आज दिनांक तक प्रभावी है। प्रार्थी के पिता खातेदार प्रभात दत्तक पुत्र चिमना हिस्सा 1/4 दर्ज चला आ रहा है, उक्त खातेदार प्रभात दत्तक पुत्र चिमना का स्वर्गवास दिनांक 29.01.2021 को हो चुका है, जिसका विरासत का नामान्तकरण व हक त्याग पत्र व के0सी0सी0 लोन की सुविधा व सरकारी सहायता नहीं मिल पही है। प्रार्थी को विरासत का नामान्तकरण, हक त्याग पत्र व के0सी0सी0 ऋण की छूट दिया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 11.06.2018 में प्रार्थी कोविरासत का नामान्तकरण खोलकर, हक त्याग व के0सी0सी0 लोन लेने की छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 16:02:36 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र की नकल दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी से जवाब तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नो ओब्जेक्शन प्लीड किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी गोरधन पुत्र श्री प्रभात,

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

जाति जाट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर अपने पिता स्व0 श्री प्रभात की मृत्यु हो जाने के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का निवेदन किया गया है तथा साथ ही हकत्याग करवाने व अपनी खातेदारी भूमि पर के0सी0सी0 लोन लेने की अनुमति चाही गई है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपने पिता स्व0 श्री प्रभात के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। फौती नामान्तकरण खुलवाने, हकत्याग करवाने व अपनी खातेदारी भूमि पर के0सी0सी0 लोन लेने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रार्थी गोरधन पुत्र श्री प्रभात द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी गोरधन पुत्र श्री प्रभात के विरासत का नामान्तकरण, हक त्याग करवाने व अपनी खातेदारी भूमि पर के0सी0सी0 लोन लेने की हद तक इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.06.2018 में छूट प्रदान की जाती है। शेष मूल आदेश यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 16:02:36 IST
Reason: SelfAttested